



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2020/00157 (76/20)

दर्ज तिथि:- 02.09.2020

1. धनराज पुत्र गिरधारीलाल
2. बाबूलाल पुत्र गिरधारीलाल
3. अशोककुमार पुत्र गिरधारीलाल
4. कांतिलाल पुत्र गिरधारीलाल
5. बाबूलाल उर्फ दीपक पुत्र नरसीगमल
कौम ओसवाल निवासी सगरामाणियों की बेरी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....वादी

बनाम

1. घेवरचन्द पुत्र दोलाराम
2. मानीदेवी पत्नी दोलाराम जाति ब्राहमण
निवासी पीपराली तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
3. मांगीलाल पुत्र प्रभुराम जाति ब्राहमण
4. प्रेमीदेवी पुत्री रामचन्द्र पत्नी ओमजी जाति ब्राहमण निवासी हाल सुरते की बेरी तहसील धोरीमना
5. धापूदेवी पुत्री रामचन्द्र पत्नी भेराराम जाति ब्राहमण निवासी गोल स्टेशन तहसील बालोतरा
6. लूणी पुत्री रामचन्द्र पत्नी राजूराम ब्राहमण हाल निवासी जूनादेव जोधपुर
7. पुखराज पुत्र किसनाराम
8. बाबूलाल पुत्र किसनाराम
9. संतोष पुत्र किसनाराम जाति ब्राहमण निवासी बांटा तहसील गुडामालानी
10. नरसीगा पुत्र बस्तीराम लाओलाद फौत जिनके वासीसान प्र.वा.सं 8 ता 10
11. चम्पालाल पुत्र चुतराराम
12. धनराज पुत्र चुतराराम
13. हीरादेवी पत्नी चुतराराम जाति ब्राहमण निवासी पीपराली तहसील गुडामालानी
14. हीरोदेवी पुत्री चुनीलाल पत्नी ताजाराम फौत के वारीसान कालूराम पुत्र ताजाराम
15. गेरोदेवी पत्नी जगमाल जाति ब्राहमण निवासी सगरामाणियों की बेरी तहसील गुडामालानी
16. तगी पुत्री चुन्नीलाल पत्नी गंगाविशन निवासी भीमथल तहसील धोरीमना
17. वाली पुत्री चुन्नीलाल पत्नी गोरधन निवासी रतेऊ तहसील बायतु जिला बाड़मेर
18. दलूदेवी पत्नी जूजाराम जाति जाट निवासी सागरामाणियों की बेरी पीपराली तहसील गुडामालानी

.....असल प्रतिवादीगण

19. तहसीलदार गुडामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण



उपस्थित
वादी अधिवक्ता:- श्री रामजीवन विश्नोई।
प्रतिवादीगण :- एकतरफा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि-1955

-:निर्णय:-

निर्णय तिथि:- 30.05.2024

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 565/5.7142 है0, 574/1.7482 है0 वाके ग्राम सगरामाणियों की बेरी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण व असल प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते हैं। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।
2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद विधिवत तामील अनुस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वादी की तरफ से साक्ष्य प्राप्त की जाकर अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार गुडामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा दिनांक 25.01.2023 को उक्त संयुक्त आराजी के समस्त सहकाश्तकारों को जरिये नोटिस दिनांक 03.02.2023 को मौका रिपोर्ट तैयार होने के सम्बन्ध में पूर्व सूचित करते हुए मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर अपने पत्रांक/भू.अ./2024/591 दिनांक 28.03.2023 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई।

3. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2071-2074 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 565/5.7142 है0, 574/1.7482 है0 वाके ग्राम सगरामाणियों की बेरी तहसील गुडामालानी के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा दिनांक 25.01.2023 को उक्त संयुक्त आराजी के समस्त सहकाश्तकारों को जरिये नोटिस दिनांक 03.02.2023 को मौका रिपोर्ट तैयार होने के सम्बन्ध में पूर्व सूचित करते हुए मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर अपने पत्रांक/भू.अ./2024/591 दिनांक 28.03.2023 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा- ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है:-

प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:- प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह- काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय- अपूरणीय क्षति:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार

घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 565/5.7142 है0, 574/1.7482 है0 वाके ग्राम सगरामाणियों की बेरी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
अशोककुमार कांतिलाल धनराज बाबूलाल पि. गिरधारीलाल जाति ओसवाल सा. देह खातेदार	1/2	565 565	0.3541 1.2749	बा.दो. बा.दो.
बाबूलाल पुत्र नरसीगमल जाति ओसवाल सा. देह खातेदार	1/2	574	0.6464	बा.दो.
किता 03 रकबा 2.2754 हैक्टेयर				
गैरो पत्नी जगमाल ब्राहमण	1/14			
घेवरचन्द पुत्र दौलाराम ब्राहमण	1/8			
चम्पालाल पुत्र चुतराराम ब्राहमण	1/126			
दलूदेवी पत्नी जूंजाराम जाट	6/35			
धनराज पुत्र चुतराराम ब्राहमण	1/126	565	0.2934	बा.दो.
नगाराम पुत्र जूंजाराम जाट	1/98	565	3.1556	बा.दो.
नरसीगाराम पुत्र बस्तीराम ब्राहमण	1/42	574	1.1018	बा.दो.
पुखराज पुत्र किशनाराम ब्राहमण	1/126			
प्रेमी पुत्री रामचन्द्र ब्राहमण	1/35			
बाबूलाल पुत्र किशनाराम ब्राहमण	1/126			

मांगीलाल पुत्र प्रभुराम ब्राहमण	1/4			
मानीदेवी पत्नी दौलाराम ब्राहमण	1/8			
लक्ष्मी पत्नी रामचन्द्र ब्राहमण	1/70			
लूणी पुत्री रामचन्द्र ब्राहमण	1/35			
शायंति पुत्री रामचन्द्र ब्राहमण	1/70			
सत्यनारायण पुत्र मानाराम ब्राहमण	22/245			
संतोष पुत्र किसनाराम ब्राहमण	1/126			
हीरों पत्नी चुतराराम ब्राहमण सा. देह खातेदार	1/126			
किता 03 रकबा 4.5508 हैक्टेयर				
नर्मदा नहर परियोजना जल संसाधन (सिंचाई) विभाग	—	0.6362	0.6362	गो.मु.नहर
किता 01 रकबा 0.6362 हैक्टेयर				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काशत में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुडामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुडामालानी-बाड़मेर



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2020/00157 (76/20)

दर्ज तिथि:- 02.09.2020

1. धनराज पुत्र गिरधारीलाल
2. बाबूलाल पुत्र गिरधारीलाल
3. अशोककुमार पुत्र गिरधारीलाल
4. कांतिलाल पुत्र गिरधारीलाल
5. बाबूलाल उर्फ दीपक पुत्र नरसीगमल
कौम ओसवाल निवासी सगरामाणियों की बेरी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....वादी

बनाम

1. घेवरचन्द पुत्र दोलाराम
2. मानीदेवी पत्नी दोलाराम जाति ब्राहमण
निवासी पीपराली तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
3. मांगीलाल पुत्र प्रभुराम जाति ब्राहमण
4. प्रेमीदेवी पुत्री रामचन्द्र पत्नी ओमजी जाति ब्राहमण निवासी हाल सुरते की बेरी तहसील धोरीमना
5. धापूदेवी पुत्री रामचन्द्र पत्नी भेराराम जाति ब्राहमण निवासी गोल स्टेशन तहसील बालोतरा
6. लूणी पुत्री रामचन्द्र पत्नी राजूराम ब्राहमण हाल निवासी जूनादेव जोधपुर
7. पुखराज पुत्र किसनाराम
8. बाबूलाल पुत्र किसनाराम
9. संतोष पुत्र किसनाराम जाति ब्राहमण निवासी बांटा तहसील गुडामालानी
10. नरसीगा पुत्र बस्तीराम लाओलाद फौत जिनके वासीसान प्र.वा.सं 8 ता 10
11. चम्पालाल पुत्र चुतराराम
12. धनराज पुत्र चुतराराम
13. हीरादेवी पत्नी चुतराराम जाति ब्राहमण निवासी पीपराली तहसील गुडामालानी
14. हीरोदेवी पुत्री चुनीलाल पत्नी ताजाराम फौत के वारीसान कालूराम पुत्र ताजाराम
15. गेरोदेवी पत्नी जगमाल जाति ब्राहमण निवासी सगरामाणियों की बेरी तहसील गुडामालानी
16. तगी पुत्री चुन्नीलाल पत्नी गंगाविशन निवासी भीमथल तहसील धोरीमना
17. वाली पुत्री चुन्नीलाल पत्नी गोरधन निवासी रतेऊ तहसील बायतु जिला बाड़मेर
18. दलूदेवी पत्नी जूजाराम जाति जाट निवासी सागरामाणियों की बेरी पीपराली तहसील गुडामालानी

.....असल प्रतिवादीगण

19. तहसीलदार गुडामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित
वादी अधिवक्ता:- श्री रामजीवन विश्नोई।
प्रतिवादीगण :- एकतरफा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि-1955

-:पर्चा डिक्री:-

दावा वादी अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 565/5.7142 है0, 574/1.7482 है0 वाके ग्राम सगरामाणियों की बेरी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
अशोककुमार कांतिलाल धनराज	1/2	565	0.3541	बा.दो.
बाबूलाल पि. गिरधारीलाल जाति				
ओसवाल सा. देह खातेदार	1/2	574	0.6464	बा.दो.
बाबूलाल पुत्र नरसीगमल जाति				
ओसवाल सा. देह खातेदार				
किता 03 रकबा 2.2754 हैक्टेयर				
गैरो पत्नी जगमाल ब्राहमण	1/14	565 565 574	0.2934 3.1556 1.1018	बा.दो. बा.दो. बा.दो.
घेवरचन्द पुत्र दौलाराम ब्राहमण	1/8			
चम्पालाल पुत्र चुतराराम ब्राहमण	1/126			
दलूदेवी पत्नी जूजाराम जाट	6/35			
धनराज पुत्र चुतराराम ब्राहमण	1/126			
नगाराम पुत्र जूजाराम जाट	1/98			
नरसीगाराम पुत्र बस्तीराम ब्राहमण	1/42			
पुखराज पुत्र किशनाराम ब्राहमण	1/126			
प्रेमी पुत्री रामचन्द्र ब्राहमण	1/35			
बाबूलाल पुत्र किशनाराम ब्राहमण	1/126			
मांगीलाल पुत्र प्रभुराम ब्राहमण	1/4			
मानीदेवी पत्नी दौलाराम ब्राहमण	1/8			
लक्ष्मी पत्नी रामचन्द्र ब्राहमण	1/70			
लूणी पुत्री रामचन्द्र ब्राहमण	1/35			

शायंति पुत्री रामचन्द्र ब्राहमण	1/70			
सत्यनारायण पुत्र मानाराम ब्राहमण	22/245			
संतोष पुत्र किसनाराम ब्राहमण	1/126			
हीरो पत्नी चुतराराम ब्राहमण सा. देह खातेदार	1/126			
किता 03 रकबा 4.5508 हैक्टेयर				
नर्मदा नहर परियोजना जल संसाधन (सिंचाई) विभाग	-	0.6362	0.6362	गे.मु.नहर
किता 01 रकबा 0.6362 हैक्टेयर				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना-अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 30.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाड़मेर

सत्यमेव जयते

गुढामालानी